राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] lјnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-**01509-238027**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2022–23– दिनांकः– 17.05.2022

fufonk lpuk

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2022–23 जिसमें खरीफ 2022 एवं रबी 2022–23 में कृषि फसलों में विभिन्न कृषि कार्यों को ठेके पर कराने के लिए चकवार निविदाऐं दिनांक 02.06.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन 3.00 बजे फार्म अधिकारियों की कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व रूपये 10000/–(रूपये दस हजार मात्र) प्रति चक का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन भूगतान (खाता संख्या 34032829868, IFSC code SBIN0007774) जो कि, ''नेशनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ'' के नाम से सूरतगढ में देय हो धरोहर राशि के रुप में जमा करनी होगी। टेण्डर फार्म व नियम शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.0 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है व टेण्डर फार्म रू.236/– (including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी, तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेवसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

ukV% & vijkgu 1-00 ct d ckn dkbZ V.Mj Qke ugh fn;k tk;xk o 2-00 ct d ckn dkbZ Hkh V.Mj Qke Lohdkj ugh fd;k tk;xkA

lgk;d egkizc/kd ¼mRikO½
d`r funs'kd

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx<

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2022–23– दिनांकः –

कृषि कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2022–23

1. फार्म द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर कार्य करने के इच्छुक ठेकेदार को चक का पूरा कार्य एक वर्ष के लिए ठेका लेने हेतु चकवार रूपये10000/–(रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन माध्यम जो कि, ''नेशनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ'' के नाम से सुरतगढ में देय हो जो कि फार्म खजांची के पास जमा करवानी होगा और सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि चक प्रभारी से एक दिन पहले मालूम करना होगा।
2. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होगें, इसके लिए पार्टी को रूपये 100/– (रूपये सौ मात्र) नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
3. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का लेबर फार्म एरिया में पशु नहीं रखेगें यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रदद् किया जा सकता है।
4. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेगें यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जायेगी।
5. कृषि कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
6. फसल की रोपाई, गुड़ाई तथा कटाई आदि की जांच का कार्य निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
7. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।
8. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक चक का बिल अलग–अलग देना होगा।
9. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल हफ्तेवार प्रस्तुत करना होगा।

yxkrkj i`t 2@&

10. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।

11. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।

12. यदि फार्म सुपरवाईजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

13. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।

14. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

15. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नही किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।

16. सफल निविदादाता को आवंटित चक में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नही किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नही कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नही होगा।

17. सफल निविदादाता/ठेकेदार को फार्म में स्वयं उपस्थित होकर कार्य करवाना होगा, ठेकेदार का कोई भी प्रतिनिधि संबधित कार्य करवाने हेतु मान्य नही होगा।

18. फार्म के किसी कर्मचारी/अधिकारी के रिश्तेदारो द्वारा निविदा में भाग लेना मान्य नही होगा, यदि वह किसी कर्मचारी का रिश्तेदार पाया जाता है तब संबधित ठेकेदार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी व फार्म के नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

19- यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनो पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनो पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

lgk;d egkizcU/kd ¼mRiknu½

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांक.......................

क्रमांक :– सर./कृषि/20/2022–23/ दिनांकः –...........................

चक/ चको के नाम..

V.Mj Qkel o"kl 2022&23 d df"k dk;l grq

Øe l0	dk;l dk fooj.k	nj ¼:i;s e½
1.	खालों का डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर	
2.	प्लेवा व प्रथम पानी लगाना दर प्रति एकड़	
	(अ) मोगे द्वारा	
	(ब) स्क्रूपम्प द्वारा	
	(स) टयूबैल द्वारा (टयूबैल स्वंय चलाना होगा)	
3.	दूसरा व अन्य पानी लगाना दर प्रति एकड़	
	(अ) मोगे द्वारा	
	(ब) स्क्रूपम्प द्वारा	
	(स) टयूबैल द्वारा (टयूबैल स्वंय चलाना होगा)	
4.	मुरब्बे में नयी बट बनाना दर प्रति 250 मीटर	
5.	बॉंडर हैरो द्वारा बनी बट को कसना दर प्रति 250 मीटर	
6.	यूरिया व डी.ए.पी. खाद का बुरकाव करना दर प्रति एकड़	
7.	फसलों में कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना कम से कम 15 ढोलकी प्रति एकड़ (दर प्रति एकड़)	
08	खरीफ व रबी फसलों में रोगिंग करना दर प्रति एकड़	
	(अ) सिंचित	

	(ब) असिंचित	
09.	चने की फसल कटाई इक्ट्ठा करना, कम्बाइन मे झुकाई करना, खलिहान साफ करना दर प्रति एकड़	
	(अ) अधिक पैदावार	+नीरा
	(ब) मध्यम पैदावार	+नीरा
	(स) कम पैदावार	+नीरा
10.	बिजाई हेतु बीज उपचारित करना दर प्रति क्विंटल	
11.	बीज खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना दर प्रति क्विंटल	
	(अ) लादना	
	(ब) उतारना	
12.	धान की नर्सरी बुवाई हेतू बट बनाना, समतल करना, पानी पर पाटा चलाना तथा धान का बीज नर्सरी लिये छिड़काव करना दर प्रति एकड़	
13.	जिप्सम खाद का बुरकाव करना दर प्रति एकड़	
14.	धान की नर्सरी उखाड़ना व धान लगाना कम से कम 30–35 पौधे प्रति वर्ग मीटर (दर प्रति एकड़)	
	(अ) साधन सहित	
	(ब) साधन रहित	
15.	धान की फसल एवं नर्सरी से घास निकालना दर प्रति एकड़	
	(अ) ज्यादा घास निकालना	
	(ब) मध्यम घास निकालना	
	(स) कम घास निकालना	
16.	उर्द, मूँग, मोठ, ग्वार, ज्वार, भिण्डी व अन्य खरीफ फसलों में कसोलों द्वारा गुड़ाई करना दर प्रति एकड़	
17.	खरीफ फसल, उर्द, ग्वार, ज्वार, भिण्डी, मोठ, मूँग आदि की कटाई करना व इक्ट्ठा करना/कम्बाइन से झुकाई करना दर प्रति एकड़	
	(अ) अधिक पैदावार	+नीरा
	(ब) मध्यम पैदावार	+नीरा
	(स) कम पैदावार	+नीरा
18.	विभिन्न फसलों से बथुआ/सरसों को उखड़वाना दर प्रति एकड	
19.	उर्द, मूँग व अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन की सफाई करना दर प्रति क्विंटल	
20.	उर्द, मूँग व अन्य खरीफ फसलों की फसलों की ऊँट के हल से गुडाई करना दर प्रति एकड़	

21.	नहर सफाई करना घास निकालना एक पटरी सहित दर प्रति मीटर	
22.	नहर सफाई करना मिट्टी निकालना दर प्रति मीटर	
23.	धान, मूँग, उर्द व अन्य खरीफ फसलों की रोगिंग करना दर प्रति एकड़	
24.	चने व पालक आदि की फसलों मे ऊँट के हल से गुड़ाई करवाना दर प्रति एकड़	
25.	चने व पालक आदि की फसल मे कसोलो द्वारा निराई, गुडाई करवाना	
	(अ) अधिक खरपतवार (दर प्रति एकड़)	
	(ब) मध्यम खरपतवार (दर प्रति एकड़)	
	(स) कम खरपतवार (दर प्रति एकड़)	
26.	चने व पालक आदि की फसलों में फॉर्म ट्रैक्टर माउंटिड पान टाईप कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करवाना दर प्रति एकड़	
27	रबी व खरीफ फसलों में दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना टंकी में दवा इत्यादि मिलाना आदि दर प्रति एकड़	
28	खरीफ व रबी में दवाई का पाइप व गन से ट्रेक्टर द्वारा करवाना दर प्रति एकड	
29	जिंक व यूरिया तथा खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना दर प्रति एकड़	
30	गनी बैग का हाथ द्वारा सफाई करवाना दर प्रति बैग	
31	गनी बैग की छटाई करवाना दर प्रति बैग	
32	नाली क्षैत्र में नई बट बनाना व कराना प्रति 250 मीटर	
33	रेत मिट्टी से बोरी भरना व लगाना दर प्रति बैग	
34	खड़े पेड़ो की गर्थ नापना कटाई व नम्बर लगाना दर प्रति पेड़	
35	बिजली द्वारा टयूबवैल को चलाना प्रति सिफ्ट (आवश्कता पडने पर)	राज्य सरकार की न्यूनतम मजदूरी
36	इंजन पम्प ऑपरेटर डयूटी प्रति सिफ्ट (आवश्कता पडने पर)	राज्य सरकार की न्यूनतम मजदूरी
37	रबी, खरीफ व जायद फसलों की बिजाई चना फसल को छोड़कर दर प्रति एकड़	
38	चना फसल की बिजाई करना दर प्रति एकड़	
39	कपास की चुगाई (दर प्रति किलो)	
40	गाजर/मूली का नसर्री से उखाडना, काटना, फार्म ट्रैक्टर ट्राली में लादना व खेत में पौधे लगाना दर प्रति एकड़।	
41	गाजर/मुली में निराई गुडाई (दर प्रति एकड़)	

42	धनिया की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना दर प्रति एकड़। ।	
43	अलसी की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना दर प्रति एकड़। ।	
44	सौंफ की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना दर प्रति एकड़। ।	
45	अरहर की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना दर प्रति एकड़।	
46	गाजर/मुली में नरसरीं में खुरपी से गुडाई करना (दर प्रति एकड़.)	
47	गाजर/मुली की कटाई, इक्टठा करना कम्बाईन से झुकाई करना, खलियान साफ करना (दर प्रति एकड.)	
48	स्प्रिंकलर/पिवोट से सिंचाई करना (दर प्रति एकड़) कम से कम 2 रांउड	
49	स्प्रिंकलर/पिवोट से प्लेवा करना (दर प्रति एकड़) कम से कम 5 रांउड	
50	अलसी, धनिया एवं सौंफ की फसल में गुड़ाई करना (दर प्रति एकड़)	
51	चकों पर वाहनों के आने–जाने वाले रास्ते एवं मुरब्बों के किनारों से 4 इंच से पतली झाड़ियों की सफाई करना दर प्रति मीटर।	
52	रबी एवं खरीफ फसलों में प्राइवेट स्प्रेयर से स्प्रे करना दर प्रति एकड़	
53	रोटेटरी हेड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करना दर प्रति एकड़	
54	कटाई उपरांत मोपिंग अप करना दर प्रति एकड़	
55	पली बनाना दर प्रति पल्ली साइज (6x6 कटटा)	
56	फसलों से पक्षी उड़ाना दर प्रति एकड़ प्रति दिन।	
57	फसलों से विशेषकर निचले क्षेत्रों से पानी निकालना (drain out करना) दर प्रति एकड़	
58	बड़ी डिग्गी खण्ड 5 में मोटर चलाने का कार्य दर प्रति दिन	

ठेकेदार के हस्ताक्षर..................................
ठेकेदार का नाम..
पता...
....
....
आधार नं0..
पेन नं0..
..